पत्र संख्या–6 एस०एस०(6)67 / 2026–6065 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–10 / 11 / 2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX
द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– पशुओं को खुरहा एवं मुँहपका रोग– Foot and Mouth Disease (FMD) से बचाव हेतु टीकाकरण कार्य के लिए निजी टीकाकर्मियों को रुपये 5/– (पाँच रुपये) प्रति टीकाकरण की दर से अतिरिक्त मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजना" के तहत कुल रुपये 1057.68 लाख (दस करोड़ सन्तावन लाख अड़सठ हजार) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त पशुओं को खुरहा एवं मुँहपका रोग– Foot and Mouth Disease (FMD) से बचाव हेतु टीकाकरण कार्य के लिए निजी टीकाकर्मियों को रुपये 5/– (पाँच रुपये) प्रति टीकाकरण की दर से अतिरिक्त मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजना" के तहत कुल रुपये 1057.68 लाख (दस करोड़ सन्तावन लाख अड़सठ हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के रूप में संलग्न है।

2. Foot and Mouth Disease (FMD) रोग से पशुओं को बचाने एवं पशुपालकों को आर्थिक क्षति से बचाने हेतु पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते निःशुल्क FMD टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निजी टीकाकर्मियों को केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत निर्धारित मानदेय रुपये 5/– (पाँच रुपये) प्रति टीकाकरण की दर के अतिरिक्त राज्य स्कीम से रुपये 5/– (पाँच रुपये) प्रति टीकाकरण की दर से मानदेय भुगतान किया जाना है।

3. बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। Foot and Mouth Disease (FMD) पशुओं में होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, जिससे प्रभावित पशुओं के दुग्ध उत्पादन में कमी हो जाती है तथा पशुओं की

मृत्यु भी होती है। इससे पशुपालकों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते निःशुल्क FMD टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्तमान में FMD टीकाकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना– राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme for Foot and Mouth Disease) के तहत किया जा रहा है।

4. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) के तहत पशुओं को खुरहा एवं मुँहपका रोग (FMD) से बचाव हेतु सम्पूर्ण राज्य में निःशुल्क एफ०एम०डी० टीकाकरण कार्यक्रम (Round VII) के तहत टीकाकरण कार्य दिनांक–10.07.2026 से संचालित है, जिसमें कुल 2,11,53,600 पशुओं का टीकाकरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

5. भारत सरकार द्वारा प्रति टीकाकर्मी प्रतिदिन अधिकतम 50 पशुओं का टीकाकरण कार्य की बाध्यता के कारण अधिकतम रुपये 5 X 50 टीका = रुपये 250/– (दो सौ पचास रुपये) प्रतिदिन पारिश्रमिक प्रति टीकाकर्मी देय हो रहा है। इसके कारण निजी टीकाकर्मियों द्वारा कार्य में रूचि नहीं लिया जा रहा है, जिससे कि टीकाकरण का कार्य लक्ष्य के अनुरूप 45 दिनों में समाप्त न होने पाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है एवं टीकाकरण कार्य की प्रगति काफी धीमी है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक रुपये 5/– प्रति टीका के अन्तर्गत टीकाकरण एवं NDLM Portal पर उनकी अपलोडिंग का कार्य किया जाना है। टीकाकर्मियों द्वारा पारिश्रमिक वृद्धि सहित प्रत्येक माह मानदेय भुगतान आदि अन्य मांग की गयी है।

वर्णित परिस्थिति में FMD टीकाकरण कार्य सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित उक्त महत्वाकांक्षी योजना के तहत पशुओं में अत्यंत संक्रामक FMD रोग के विरूद्ध टीकाकरण कार्य बाधित है एवं प्रगति अत्यंत कम है।

6. उपरोक्त वर्णित स्थिति के आलोक में पशुओं को खुरहा एवं मुँहपका रोग– Foot and Mouth Disease (FMD) से बचाव हेतु टीकाकरण कार्य के लिए निजी टीकाकर्मियों को केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत निर्धारित मानदेय रुपये 5/– (पाँच रुपये) प्रति टीकाकरण की दर के अतिरिक्त राज्य स्कीम से रुपये 5/– (पाँच रुपये) प्रति टीकाकरण की दर से मानदेय भुगतान किया जाना है।

7. उक्त के आलोक में FMD टीकाकरण कार्यक्रम (Round VII) के तहत 2,11,53,600 टीकाकरण का लक्ष्य पूर्ण करने हेतु निजी टीकाकर्मियों को रुपये 5/– (पाँच रुपये)

प्रति टीकाकरण की दर से अतिरिक्त मानदेय भुगतान हेतु 2,11,53,600 X 5/- = रुपये 1057.68 लाख (दस करोड़ सन्तानव लाख अड़सठ हजार) मात्र का व्यय अनुमानित है।

8. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार की सहमति से पशुपालन निदेशालय के द्वारा दिशा–निदेश निर्गत किया जायेगा।

9. इस योजना के तहत प्रस्तावित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार एवं सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार होंगे।

10. इस योजना के तहत प्रस्तावित व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्षों के तहत 2802 –संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगाः–

(i) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0101 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403001010101 (व्यय विवरणी– क संलग्न)।

(ii) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0111 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403007890111 (व्यय विवरणी– ख संलग्न)।

(iii) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0130 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403007960130 (व्यय विवरणी– ग संलग्न)।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत अतिरिक्त योजना उद्व्यय प्राप्त करते हुए अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध कर योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा। इस योजना के तहत व्यय को बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा।

11. दिनांक–22.09.2026 को सम्पन्न स्थायी वित्त समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)67 / 2026 के पृष्ठ 49–48 / प०.

12. दिनांक–14.10.2026 को संपन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)67 / 2026 के पृष्ठ 63–62 / प०.

13. यह स्कीम एक नयी राज्य स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक–201/वि०, दिनांक–13.03.2025 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस स्कीम स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)67/2026 के पृष्ठ–33/टि० एवं दिनांक–02.11.2026.

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)67/2026 के पृष्ठ–33/टि० एवं डायरी संख्या–741, दिनांक–27.10.2026.

15. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67/2026– 6065 /पटना–15, दिनांक– 10/11/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67/2026– 6065 /पटना–15, दिनांक– 10/11/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67/2026– 6065 /पटना–15, दिनांक– 10/11/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67 / 2026– 6065 / पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा / लेखा शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67 / 2026– 6065 / पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67 / 2026– 6065 / पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त 05 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67 / 2026– 6065 / पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67 / 2026– 6065 / पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"क"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में पशुओं को खुरहा एवं मुँहपका रोग–Foot and Mouth Disease (FMD) से बचाव हेतु टीकाकरण कार्य के लिए "राज्य स्कीम" अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत निजी टीकाकर्मियों को रुपये 5/– (पाँच रुपये) प्रति टीकाकरण की दर से अतिरिक्त मानदेय भुगतान की योजना पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणी :–

सामान्य घटक (02–2403001010101)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०सं०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0101.2802 –संविदा सेवाएँ	846.14	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार, बिहार।
	कुल योग :–	**846.14**		

(रुपये आठ करोड़ छियालिस लाख चौदह हजार) मात्र।

पत्रांक-6065, दिनांक- 10/11/2026

सरकार के संयुक्त सचिव

7 Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी–"ख"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "राज्य स्कीम" अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" पशुओं को खुरहा एवं मुँहपका रोग– Foot and Mouth Disease (FMD) से बचाव हेतु टीकाकरण कार्य के लिए निजी टीकाकर्मियों को रुपये 5/– (पाँच रुपये) प्रति टीकाकरण की दर से अतिरिक्त मानदेय भुगतान की योजना पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणी :–

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (02–2403007890111)

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0111.2802 –संविदा सेवाएँ	169.23	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार, बिहार।
	कुल योग :–	**169.23**		

(रुपये एक करोड़ उनहत्तर लाख तेइस हजार) मात्र।

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक-6065, दिनांक- 10/11/2026

व्यय विवरणी–"ग"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "राज्य स्कीम" अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" पशुओं को खुरहा एवं मुँहपका रोग– Foot and Mouth Disease (FMD) से बचाव हेतु टीकाकरण कार्य के लिए निजी टीकाकर्मियों को रुपये 5/– (पाँच रुपये) प्रति टीकाकरण की दर से अतिरिक्त मानदेय भुगतान की योजना पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणी :–

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02–2403007960130)

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0130.2802 –संविदा सेवाएँ	42.31	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार, बिहार।
	कुल योग :–	**42.31**		

(रुपये बयालीस लाख एकतीस हजार) मात्र।

व्यय का सारांश –		
क्र०सं०	**व्यय विवरणी**	**राशि (लाख रुपये में)**
1	व्यय विवरणी–क	846.14
2	व्यय विवरणी–ख	169.23
3	व्यय विवरणी–ग	42.31
	कुल योग :–	**1057.68**

(रुपये दस करोड़ सन्तावन लाख अड़सठ हजार) मात्र।

फाइल-605, दिनांक-10/11/2026

सरकार के संयुक्त सचिव

9 Typed by Sanjay Kumar